


(23)

५  
११-५-१२

माननीय राजस्व मण्डल रवा लियर खण्डपोठ रीवा, जिला रीवा म०प्र०

निगरानी प्रकरण ब्रॉडक 2012

R 1591-II/12



रामखेला वन सिंह तनय रामस्जीवन सिंह निवासी ग्राम हरदुआ, थाना

व तहसील सेमरिया, जिला रीवा म०प्र० ----- आवेदक निगरानीकर्ता

विरुद्ध

R 1591-II/12  
1- राजेश गौतम तनय जागेश्वर गौतम निवासी ग्राम हरदुआ, थाना व तहसील सिरमौर, जिला रीवा म०प्र०

2- इन्द्राणी वैवा पत्नी इयामलाल ब्रॉड निवासी ग्राम हरदुआ, थाना सेमरिया, जिला रीवा म०प्र० ----- अनावैदकगण/ग्रनिगराका एवं

अधिकारकालीन व्युपाद्याय  
झाराहुकुता  
रीवा, दिनांक ९.०५.२०१२

Amd  
9.5.12

निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक ३१-३-२०१२

जी न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीयविधिकारी  
महीदय द्वीतीय सिरमौर सब तहो सेमरिया, जिला  
रीवा के प्रकरण क्र० ४३८/०६/अपील/०८-०९ मे  
पारित व प्रसारित किया गया है।

निगरानी अन्तर्गत धारा ५० म०प्र० भूराजस्व  
संहिता सन १९५९ईस्वी।

मान्यवर,

प्रकरण के सूक्ष्म तथ्य व्यस्पकार हैः-

इस प्रकरण में यह है कि निगरानीकर्ता इन्द्राणी से  
मूलि लखरा नं० १७११ रकवा०-४१६० रु० १,२००० नकद देकर दिनांक

-2

11-५-१२

विरुद्ध

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

R-1591-II/12 अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र. R.1591-II/12

जिला-रीवा

रामखेलावन सिंह/राजेश गौतम

(1)

(2)

(3)

22.08.17

- प्रकरण प्रस्तुत।
- आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।
- चूंकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।
- आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जाए, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो।

